

04
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

5/3/25
वकील फराकन उप/P.O साहब ~~का~~ अवकाश पर पत्रावली
रिक्त है। पत्रावली आईन्दा आदेश
दि. 15/5/25 को पेश हो।

14/05/25

वकीलों द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
आईन्दा दिनांक 16/07/25 को पेश हो।

15/07/25

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित है। अधिवक्ता श्री
वकील वादी द्वारा मूल पत्रावली प्रतिवादी से. 1 की कोर्ट
वकावतनामा पेश करे कर जवाब बाबत काम चला गया।
पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी रिक्त की जाती है। पत्रावली
बाबत जवाब आईन्दा दिनांक 17-09-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

17/09/25

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अन्य श्रावणी सेवा शिपिर- 2025
का कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा
दिनांक 19/11/25 को पेश हो।

19/11/25

वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी द्वारा नवीन वाद पत्र
पेश करने के वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखते
हुए, वाद पत्र खिंची लगा किंगे जाने काबत निवेदन
रिक्त गया। वकील वादी को सुना गया। वादी अधिवक्ता
द्वारा कथन किंगे गये कि वादी इस वाद पत्र पर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Sir
नवीन पार्थना
पत्र पेश करने
के अधिकारों को
सुरक्षित रखते
हुए उक्त
पार्थना पत्र
को विंडो
करता हूँ
मी. उपखण्ड
19/11/25

फर्द-अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या-61 / 2024

अन्तर्गत धारा:- बनाम.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस कबल वकील वादी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर लिपिकी दर्ज की गई। पत्रावली अवलोकन पर पाया गया कि प्रतिवादीजन द्वारा प्रति दावा पेश नहीं किया गया है। वकील वादी पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वाद का मैं कोई प्रति दावा पेश नहीं है। रैली स्थिति में पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी के नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र पर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दायिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)